240 क लेख – समस्याओं की पहचान का महत्व
240 ख प्रश्न– उमा शंकर यादव बाल अधिकार
240 प्रश्न ग 2. श्री जबरमल शर्मा जयपुर
240 ध प्रश्न– आरती चकवर्ती
240 च प्रश्न श्री सत्यदेव गुप्त
240 छ प्रश्न श्री सुंधाशु रंजन , दैनिक अम्बिकावाणी,

समस्याओं की पहचान का महत्व

किन्हीं समस्याओं के समाधान के प्रयत्न शुरू करने के पूर्व समस्या की ठीक ठीक पहचान, उसकी प्राथमिकता, समाधान का सैद्धान्तिक पक्ष तथा उसके व्यावहारिक पक्ष का आकलन करना आवश्यक होता है। इन सबका ठीक ठीक आकलन किये बिना यदि आप किसो समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं तो यही निष्कर्ष निकलता है कि आप वास्तव में भारतीय राजनेता हैं क्योंकि भारत में राजनेताओं की यह पहचान बन चुकी है कि वे पहले समस्या पैदा करते हैं और तब उन समस्याओं का ऐसा समाधान शुरू करते हैं जो किसी अन्य नई समस्या को पैदा करे या विस्तार करे।

समस्याएँ दो वर्गों में बांटी जा सकती हैं ;1द्ध नैतिक पतन की ओर ले जा रही ;2द्ध भौतिक विकास में बाधक। इन दोनों के बीच संतुलन समस्याओं के समाधान का सर्वश्रेष्ठ आधार होता है। संतुलन का आकलन भी देश काल परिस्थिति के अनुसार ही करना चाहिये। कभी कभी विशेष परिस्थितियॉ भी होती है जब दोनों में से किसी एक ही दिशा में तेजी से बढ़ना आवश्यक हो जाता है। ऐसे समय को विशेष स्थिति कहा जाता है और जब ऐसी विशेष स्थिति भी चरम पर हो जाये तब उसे आपात्काल कहा जाता है।

इस लेख में हम सम्पूर्ण विश्व की समीक्षा न करके मात्र भारत की समीक्षा कर रहे हैं। स्वतंत्रता के पूर्व हमारा नैतिक पक्ष बहुत मजबूत था और भौतिक पक्ष कमजोर। हमारा नैतिक पक्ष इतना ज्यादा प्रबल था कि हम भौतिक रूप से सबल होते हुए भी गुलाम हो गये। मुस्लिम आकमणकारियों ने हमारी नैतिकता का भरपूर लाभ उठाया तथा लूट लूट कर हमारी भौतिक सम्पदा विदेश ले गये। हमारी भौतिक सम्पदा लुटती रही और हम नैतिकता के उच्च आदर्शों का पालन करते रहे। कान्तिकारियों के बलिदान तथा गांधी आदि की सूझबूझ के साझा पयासों से हम किसी तरह गुलामी से मुक्त हुए। उस समय भी भारत में समाज का नैतिक स्तर बहुत उॅचा था भले ही भौतिक स्तर पर हमारे पास खाने को पर्याप्त अन्न नहीं था, पहनने के लिये पर्याप्त कपड़े नहीं थे, आवागमन शिक्षा स्वास्थ्य आदि में हम बहुत पीछे थे। स्वतंत्रता के बाद देश काल परिस्थिति अनुसार भौतिक विकास को हमने अपनी पहली प्राथमिकता माना जो उस समय के अनुसार उचित ही दिखता है। किन्तु पण्डित नेहरू, डा. भीमराव अम्बेडकर आदि ने स्वतंत्रता मिलते ही गांधी जैसे लोगों की अन्देखी करके लोकतंत्र के साथ साथ एक समाजवाद शब्द ऐसा जोड़ दिया जिसने हमारी समस्याओं की पहचान भी समाप्त कर दी तथा समाधान के मार्ग भी भटका दिये। लोकतंत्र तथा समाजवाद दो बिल्कुल विपरीत अवधारणाएँ हैं। हमें प्रारंभ में भौतिक उन्नति को पहली प्राथमिकता घोषित करना था और नैतिक उत्थान को दूसरा। किन्तु हमने समाजवाद के नाम पर समानता को पहली प्राथमिकता घोषित कर नैतिक स्थिति को भी खतरे में डाल दिया तथा भौतिक उन्नति के मार्ग में भी कांटे बिछा दिये। समानता का व्यावहारिक पक्ष यह होता है कि समानता का व्यवहार मजबूत लोगों का कर्तव्य तो होता है किन्तु दायित्व नहीं। गांधी जी भी ऐसा ही मानते थे तथा सच्चाई भी यही है। इसका अर्थ यह हुआ कि समानता का व्यवहार कमजोर वर्ग का अधिकार नहीं है। समानता किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार न है न हो सकता है। नेहरू अम्बेडकर आदि मौलिक संवैधानिक तथा सामाजिक अधिकारो का फर्क नहीं समझते थे। इसलिये इन लोगों ने चाहे अज्ञान से या जान बूझकर समानता को कमजोर लोगों का अधिकार घोषित कर दिया। यह घोषणा ही भविष्य में अनेक समस्याएँ खड़ी करने का आधार बनी। नेहरू जी के मन में समाजवाद की धुन सवार हुई और अम्बेडकर जी के मन में सामाजिक परिवर्तन की। अम्बेडकर जी की हालत तो कुछ कुछ समझी भी जा सकती थी क्योंकि एक ओर तो उन्होंने जातीय शोषण के अत्याचार स्वयं देखे थे तो दूसरी ओर वे इसी आधार पर प्रधानमंत्री भी बनना चाह रहे थे किन्तु नेहरू जी को क्या हो गया था कि उन्होने भारत की भौतिक उन्नति की जगह सामाजिक उन्नति को सर्वोच्च प्राथमिकता घोषित कर दिया। लोहिया जी से हम यह प्रश्न नहीं कर सकते क्योंकि वे तो शुरू से ही समाजवादी थे तथा वे तो उस समय विपक्ष में थे, सत्ता पक्ष में नहीं। इन लोगों ने ऐसे ऐसे कदम उठाने शुरू किये कि भारत की सारी प्राथमिकताएँ ही बदल गईं। इन्होंने शीघ्रातिशीघ्र मकान मालिकों के विरूद्ध किरायेदार कानून बनाया। इस कानून ने समाज का गंभीर नैतिक पतन किया। अच्छे अच्छे इमानदार लोगों के मन में भी इमानदारी के विरूद्ध तर्क उठने लगे। इन लोगों ने हिन्दू कोड बिल बनाया। कोई इन महानुभावों से पूछे कि मकान किराया कानून या हिन्दूकोड बिल हमारे देश की भौतिक प्रगति में किसी प्रकार सहायक था अथवा नैतिकता के विस्तार में। कुछ ही वर्ष बाद हमारे नेताओं ने एक कान्तिकारी समाजवादी कदम उठाते हुए रेलों में तीसरी क्लास को खतम कर दिया। यदि आप सन् सैंतालीस से इक्यान्नबे तक के इन नेताओं के उठाये कदमों की समीक्षा करेंगे तो आप पायेंगे कि इनके उठाये हर कदम ने नैतिक पतन का मार्ग प्रशस्त किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि चालीस वर्षों के समाजवादी शासन काल में एक भी कदम ऐसा नहीं उठा जिसने समाज में नैतिक पतन का मार्ग प्रशस्त न किया है। इन लोगों ने भौतिक प्रगति के कुछ प्रयत्न किये। अनेक बड़े बांध अथवा कारखाने खोले गये जिन्होंने भौतिक विकास किया किन्तु वर्ग निर्माण वर्ग विद्वेष के प्रयत्न भौतिक प्रगति में भी बाधक ही होते रहते थे। हमारे ये बड़े बड़े नेता इतना भी नहीं समझ पाये कि सिर पर मैला ढोने की प्रथा का उन्मूलन भौतिक विकास के मार्ग से ही आसानी से संभव है। इसके उलट इन्होंने सिर पर मैला ढोने की प्रथा को कानून के द्वारा निपटाना चाहा। परिणाम हुआ कि हमारी प्राथमिकताएँ बदलीं। भौतिक विकास में भी ऐसे कानून बाधक बने तथा सामाजिक बुराई भी दूर नहीं हो पाई। इन लोगों को कैसी धुन सवार थी कि इन्होंने दहेज प्रथा को कानून से हल करना शुरू कर दिया। अरबों रूपया सरकार का इस बेकार की कसरत में स्वाहा हो गया और परिणाम शून्य रहा। दहेज तो तभी खतम हुआ जब लिंग अनुपात घटा तथा पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं की आबादी घटने लगी। मुझे तो यहॉ तक पता चला है कि इक्यान्नबे के पूर्व तक हमारी समाजवादी सरकारें कारखानों को भी अपनी पूरी क्षमता का उत्पादन करने से रोकती रही हं।

यह सच है कि इक्यान्नबे के बाद देश के भौतिक विकास की गति बहुत बढ़ी है। अब जिस गति से भौतिक विकास हो रहा है वह इतना पर्याप्त है कि अब यह हमारे लिये किसी तरह भी प्राथमिक समस्याओं में शामिल नहीं। जीवन स्तर उॅचा हुआ है। भोजन, वस्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में अपेक्षा से अधिक सुधार है। इतनी भौतिक उन्नति के बाद भी दो बातें अब भी हमारे लिये कलंक बनी ही हुई हैं ;1द्ध नैतिक पतन ;2द्ध असमानता का विस्तार।''1द्ध चोरी डकैती लूट ;2द्ध बलात्कार ;3द्ध

मिलावट कमतौल ;4द्ध जालसाजी धोखाधड़ी ;5द्ध हिंसा आतंकवाद ;6द्ध भ्रष्टाचार ;7द्ध चरित्र की गिरावट''। यदि ये सात समस्याएँ समाज में लगातार बढ़ रही हैं तो नैतिकता के मामले में हम लगातार पीछे जा रहे हैं। नैतिक पतन की कीमत पर तीव्र भौतिक विकास भी हमारे सफलता का आधार नहीं कहा जा सकता। इन नैतिक पतन की सात समस्याआं के साथ साथ चार ''ः1द्ध साम्प्रदायिकता ;2द्ध जातीय कटुता ;3द्ध असमानता ;4द्ध ग्रामीण गरीब श्रमजीवी शोषण'' भी कुछ ऐसी समस्याएँ हैं जो लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। प्रश्न उठता है कि भौतिक विकास, नैतिक विकास तथा असमानता निवारण एक साथ नहीं चल सकते क्या? हमारे देश के सभी नेताओं का मानना है कि भौतिक उन्नति होगी तो नैतिक पतन भी स्वाभाविक है तथा सामाजिक टकराव भी। मैं इसके ठीक विपरीत मानता हूँ। मेरे विचार में तीनों काम एक साथ संभव हैं यदि सरकार और उसके नीति निर्धारकों की नीयत ठीक हो। किसी समस्या के समाधान के लिये समस्या की ठीक ठीक पहचान भी आवश्यक है तथा उसकी प्राथमिकता का आकलन भी। यह भी ध्यान देना होगा कि उक्त समाधान किसी अन्य समस्या का विस्तार तो नहीं कर रहा। उसके बाद ही समाधान की पहल करनी होगी। कानूनों की अधिकता चरित्र पतन के लिये सबसे ज्यादा उत्तरदायी होती है। कानून तो बीमारी की दवा मात्र होते हैं जो बीमारी की हालत में योग्य चिकित्सक की देखरेख में विशेष स्थिति में उपयोग की जाती है। दवा कोई टानिक नहीं जो स्वास्थ्य वर्धक हो तथा आपके शरीर को कोई ताकत दे। कानून तो एक प्रकार की दवा ह। यदि दवा खाना आपका शौक बन जाये तो उसका साइड इफेक्ट आपको नई नई जटिल बीमारियों का घर बना देगा। दुर्भाग्य से हमारे देश के नेता दिन रात नये नये कानून बनाने में व्यस्त रहते हैं। इन्हें कानून बनाने का शौक हो गया है। इन्हें साठ वर्षों में अनुभव हा गया है कि नये नये कानून बना बना कर ही समाज को गुलाम बनाकर रखा जा सकता है। समाज को गुलाम बनाकर रखना इनका लक्ष्य है और नये नये कानून बनाना मार्ग और जब नीयत ही ठीक नहीं तब परिणाम क्या होगा?

कुछ एक दो कानूनों की समीक्षा करिये। सरकार कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिये बहुत परेशान है। बहुत ताकत लगाकर सरकार प्रयत्न कर रही है। सच बात यह है कि परिवार एक इकाई होने के बाद किसी स्त्री पुरूष बालक बालिका का तब तक कोई पृथक अस्तित्व नहीं होता जब तक यह बिल्कुल अकेला न हो। लिंगानुपात किसी भी रूप में प्रशासनिक समस्या न होकर या तो पारिवारिक समस्या है या सामाजिक। दूसरी बात यह है कि क्या लिंगानुपात इतनी तेजी से गिर रहा है कि कोई तात्कालिक खतरा मंडरा रहा है। सौ वर्ष पूर्व भी महिलाए पुरूषो की अपेक्षा कम ही थी। सौ वर्षों में कुछ और कम हो गईं। पैंतालीस पचपन तक तो कोई सामाजिक समस्या का खतरा नहीं है। तीसरी बात यह भी है कि गिरते हुए लिंगानुपात ने अब तक दहेज, विधवा विवाह, बहुविवाह, बढ़ती जन्म दर, महिला उत्पीड़न, पुरूष प्रधान व्यवस्था आदि समस्याओं के समाधान में सहायता ही की है। इसके विपरीत एक भी ऐसी समस्या नहीं है जो इस लिंगानुपात के अन्तर बढ़ने के कारण बढ़ी हों। फिर भी पता नहीं क्यों हमारे सभी नेता इस समस्या को इतना महत्वपूर्ण प्रचारित कर रहे हैं जैसे कि यह समस्या समाज में अनेक समस्याओं को पैदा कर रही हो। यदि लड़की का पिता लड़की के साथ साथ लड़के के पिता को पैसा दे तो हमारे देश के नेताओं को दहेज की चिन्ता होने लगती है और यदि कोई लड़की का पिता लड़की के बदले में लडके के पिता से धन ले ले तब भी हमारे नेताओं की नजर में लड़की बिक गई। फिर देखिये मीडिया और नेताओं की सकियता। यदि लड़के वाले न धन लिया तब भी महिला उत्पीड़न और दिया तब भी महिला उत्पीड़न। हमारे नेता तो नेता, हमारे धर्म गुरू रामदेव जी, अग्निवेष जी भी कन्या भ्रूण हत्या को इतनी बड़ी समस्या मानते हैं कि उस पर तत्काल पहल करनी चाहिये। यदि लडकियो की कमी के कारण वर्तमान में एक प्रतिशत लोग स्वामी रामदेव या अग्निवेष बनने को मजबूर हैं तो दस बीस वर्षों बाद ऐसे लोगों की संख्या दो तीन प्रतिशत हो जायेगी। दस बीस वर्षों में ही कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला जो सब लोग तिल का ताड़ बनाने में लगे हुए हैं।

इसी तरह हम समीक्षा करें रेल यात्रा की। रेल यात्रा को लगातार सस्ता करके यात्रियों की संख्या वृद्धि को प्रोत्साहित किया गया। स्वाभाविक था कि आरक्षण के लिये मारामारी होती। उसे रोकने के लिये टिकट दलालों पर छापे की कार्यवाही शुरू हुई। अब तत्काल टिकट के लिये परिचय पत्र दिखाने के बाद ही टिकट मिलेगा। अब आगे रेल यात्रा में भी परिचय पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा। यह सारी कानूनी कसरत क्यों की जा रही है? एक तरफ तो पूर्ति की तुलना में मांग बढ़ाने के प्रयत्न करना और दूसरी तरफ मांग और पूर्ति के अन्तर को समाप्त करने के लिये कानूनों का जाल फैलाना। यही तो है भारत की राजनीति और यही है उनकी तिकड़म।

कल्पना करिये कि सरकार एक करोड़ रूपया चौक पर रख कर कहे कि सब लोग पांच पांच सौ रूपया ले जायें। स्वाभाविक है कि कुछ लोग एक एक हजार उठाने लगेंगे। कुछ देर बाद कुछ लोग झोला भर कर ले जाने लगेंगे। कुछ देर बाद कुछ लोग बोरे में भरने लगेंगे। और तब सरकार वहॉ आकर लाठी डंडा चला कर नियंत्रित करना शुरू करेगी। हमारे धर्म गुरू तथा मीडिया कर्मी सारी दुनिया में संदेश देंगे कि हमारे समाज का इतना चरित्र गिर गया है। प्रश्न उठता है कि इस सारी समस्या का दोषी कौन? किसने यह समस्या पैदा की? समाज ने या सरकार ने?

छत्तीसगढ़ के मजदूर बड़ी संख्या में बाहर काम करने चले जाते थे जिससे यहॉ के उद्योगपतियों को सस्ते मजदूर नहीं मिलते थे। उद्योग पतियों ने कुछ एनजीओ वाले तथा मीडिया वालों से किसी तरह मिलकर आवाज उठवाई कि इन मजदूरों का बाहर जाने पर शोषण होता है। उन्हीं उद्योग पतियों ने दूसरी ओर नेताओं से मिलकर ऐसे मजदूरों के बिना परमिट प्रदेश से बाहर जाने पर रोक लगवा दी। एक ही कानून से बहुतों का भला हो गया। एन जी ओ वालों को नकली मानवता का एक काम मिल गया। मीडिया वालों का अपना न्यूशेंस वैल्यू बढ़ गया। उद्योग पतियों को सस्ते मजदूर मिलने लगे, पुलिस वालों को कुछ अलग से आराम हो गया। सरकार को स्टेज पर कुछ समाधान गिनाने का अवसर मिल गया। बेचारे मजदूर का क्या हुआ? उसे निर्विघ्न जाने में जो रोटी प्राप्त होतो थी उसका या तो एक कोना कट गया या बेचारा यहीं रहकर सस्ते में काम करने को मजबूर हो गया।

यदि आप ठीक से सर्वेक्षण करें तो नब्बे प्रतिशत ऐसे ही समाधान कारक कानून बन रहे हैं जो न तो समाधान हैं न प्राथमिकता। इसके विपरीत ये समाज में चरित्र पतन मं भी सहायक हैं और वर्ग विद्वेष में भी। फिर भी हमारे सभी नेता ऐसे ऐसे अनावश्यक कानूनों में रात दिन संलग्न रहते हैं जो नई नई समस्याएँ पैदा करने वाले हैं। अब समय आ गया है कि समाज ऐसे मामलों में नये सिरे से सोचना शुरू करे।

1. श्री उमाशंकर यादव, कप्तानगंज, कुशीनगर, उत्तरप्रदेश

प्रश्न ;1द्ध बाल अधिकार संरक्षण कानून 2000 और आज के बाल अधिकारों पर आप अपना मत स्पष्ट करे अथवा फर्क पर प्रकाश डाले।

;2द्ध बाल मजदूरी एक सामाजिक कलंक है? अथवा सस्ते मजदूर के रूप में श्रमिक नियोजित कर भारी–भरकम मुनाफा कमाने का एक जरिया है? आप अपनी राय स्पष्ट करें।

;3द्ध बाल व्यापार ; मानवतस्करी द्ध की बढ़ती घटना को नियन्त्रित कैसे किया जाय। क्या कदम उठाना चाहिए। स्पष्ट करें।

उत्तर भारत में समाज व्यवस्था की तीन इकाइयॉ हैं जो तीनों पूर्ण स्वतंत्र भी हैं तथा एक दूसरे की पूरक भो। ये हैं ;1द्ध व्यक्ति ;2द्ध परिवार ;3द्ध समाज। अन्य किसी व्यवस्था में तीन इकाइयॉ इस प्रकार नहीं होती। इस्लाम में व्यक्ति स्वतंत्र इकाई नहीं है क्योंकि व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होता। यहॉ परिवार अथवा कबीलों को स्वतंत्र अधिकार प्राप्त हैं। समाज का इस्लाम मे कोई अस्तित्व नहीं होता। वहॉ धर्म ही समाज है। साम्यवाद में व्यक्ति, परिवार, समाज कुछ होता ही नहीं। वहॉ राज्य ही सबकुछ है। पश्चिम के देशों में व्यक्ति एक स्वतंत्र इकाई है तथा समाज भी है किन्तु परिवार का अस्तित्व नहीं है। पश्चिम में परिवार तो हैं किन्तु उनको न तो मौलिक इकाई माना गया है न व्यवस्था की। भारत की स्वतंत्रता पूर्व की व्यवस्था में व्यक्ति परिवार और समाज का स्वतंत्र अस्तित्व था। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान ने परिवार व्यवस्था को अमान्य करके व्यक्ति सरकार समाज कर दिया जो गलत है। यद्यपि आज भी भारत की सामाजिक व्यवस्था परिवार व्यवस्था को मानती है किन्तु राज्य व्यवस्था का समाज व्यवस्था की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होने से परिवार व्यवस्था निरंतर कमजोर होती रही जिसका परिणाम है कि भारत व्यक्ति समाज सरकार रूपी पाश्चात्य व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है।

आपके प्रश्न का उत्तर देने के पूर्व हम यह विचार करें कि व्यक्ति परिवार समाज व्यवस्था में बालक किस श्रेणी में है। यदि बालक व्यक्ति है तो उसे व्यक्ति के रूप में सभी मौलिक अधिकार प्राप्त होने चाहिये। ये अधिकार तो बालक को प्राप्त हैं भी। यदि बालक परिवार का सदस्य है तो उसके साथ परिवार के अधिकार जुड़ते हैं। परिवार के किसी सदस्य को सरकार या समाज द्वारा तब तक पृथक इकाई नहीं मान सकते जब तक बालक परिवार का सदस्य है। यदि परिवार में रहते हुए भी उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तब समाज या राज्य की भूमिका शुरू होती है। मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के समान होते हैं। उसमें बालक वृद्ध का भेद नहीं। बालक समाज का अंग होता ही नहीं। समाज का अंग या तो व्यक्ति होता है या परिवार। बालक परिवार में बेटा या भाई के रूप में हो सकता है किन्तु व्यक्ति के रूप में उसका अस्तित्व नहीं। बालक वृद्ध महिला पुरूष आदि का न कोई पृथक अधिकार होता है न ही उनका कोई संगठन संभव है। क्योंकि परिवार का कोई भी सदस्य परिवार की सहमति के बिना किसी संगठन का सदस्य नहीं हो सकता।

आज आप जो महिला संगठन, बाल संगठन आदि के नाम से अनेक संगठन खड़े देख रहे हैं ये पश्चिम की संस्कृति के विस्तार के प्रभाव में खड़े हो रहे हैं। ऐसे संगठनों ने भारत की व्यक्ति परिवार समाज रूपी त्रिस्तरीय व्यवस्था को गंभीर क्षति पहुॅचाई है। ऐसे अनेक संगठन तो बाकायदा पश्चिमी जगत से धन ले लेकर भारतीय समाज व्यवस्था को तोड़ने में संलग्न हैं। ऐसे अनेक असामाजिक लोग तो स्वयं को सामाजिक तक कहने लगे हैं।

जब से भारत स्वतंत्र हुआ तभी से हमारे संविधान तथा संविधान के अन्तर्गत बनी सरकार ने भी इस समाज तोड़क व्यवस्था को मजबूती प्रदान की है। हमारे संविधान बनाने वालों को न मूल अधिकार की परिभाषा का ज्ञान था न ही परिवार व्यवस्था पर उनकी कोई आस्था थी। हमारे संविधान बनाने वालों को तो संविधान शब्द की परिभाषा भी नहीं मालुम थी। इसलिये अब आवश्यक है कि संविधान, मूल अधिकार, परिवार आदि की नई परिभाषाओं पर विचार मंथन हो तथा उन नई परिभाषाओं के परिप्रेक्ष्य में महिला बालक वृद्ध आदि के अधिकारों की पुनर्व्याख्या हो। मैं बालक वृद्ध या महिला के संबंध में सरकारी हस्तक्षेप को समाज व्यवस्था के विरूद्ध एक षड़यंत्र मानता हूॅ जिससे बचा जाना चाहिये।

यह सच है कि बाल मजदूरी एक कलंक है। यदि समाज में कोई बालक मजदूरी करने के लिये विवश है तो उस राजनैतिक व्यवस्था के लिये कलंक है जिसके कुछ परिवार इतनी गरीबी में जी रहे हैं कि उन्हें परिवार के भरण पोषण के लिये बच्चो से मजदूरी तक करानी पड़ रही है। मजदूरी करना न बालक का शौक है न परिवार का। नब्बे पतिशत मामलों में यह परिवार की मजबूरी है। यदि कोई सरकार इस कलंक को धोना चाहती है तो उसे ऐसे परिवारों की आर्थिक स्थिति को ठीक करना होगा। बाल मजदूरी तो आर्थिक असमानता का लक्षण है। यदि आर्थिक असमानता बढ़ेगी तो समाज का एक वर्ग बालकों से मजदूरी कराने को बाध्य होगा ही। आप दुनिया में अपनी लाज बचाने के लिये आर्थिक विषमता कम न करके बाल मजदूरी नियंत्रण कानून बनायें और ताकत से उसका पालन करायें ऐसे कानूनों का अथवा ऐसे प्रयत्नों का विदेशी धन प्राप्त एजेन्ट तो समर्थन कर सकते हैं किन्तु मेरे जैसे लाग नहीं कर सकते। यदि कोई व्यक्ति व्यवसाय के रूप में ऐसे कार्य में संलग्न है अथवा किसी राजनैतिक उद्देश्य के लिये वह सरकार की चापलूसी में लगा है तो वह उसका प्रयास क्षम्य है किन्तु कोई सामाजिक कार्य मानकर बाल मजदूरी महिला उत्पीड़न आदि समाज तोड़क कार्य में लिप्त है तो उसे ऐसी संलिप्तता के पहले इस बहस में शामिल होना चाहिये कि बाल मजदूरी का समाधान आर्थिक विषमता दूर करने में है है अथवा बाल मजदूरी पर कानूनी रोक लगाने में। मैं इस संबंध में पश्चिमी षड़यंत्र और उनके समर्थकों को खुली चुनौती देता हूॅ। आपके उत्तर की प्रतीक्षा है।

2. श्री जबरमल शर्मा जयपुर

प्रश्न प्रति वर्ष की तरह नववर्ष का भी पुनरावृत्ति का दौर जारी है। इस वर्ष भी हम नया कुछ जानने, सोचने व करने को व्याकुल हैं। आजादी के बाद कितना कुछ बदल गया है । भौतिक उन्नति हो रही है पर आदमी के भीतर सोया स्वार्थ व भ्रष्टाचार अनवरत जाग रहा है। इसकी गहरी जड़ों को देखकर ऑखें फटी सी रह गई कि कितना खोखला हो गया है देश। सोयी है तो केवल राष्ट्रीय भावना व मानवता। आज संस्कारों की जड़ता को तोड़कर कोई वेदना का सहभागी बनना नहीं चाहता। नहीं ता एक नहीं, कई अन्ना हो जाते।

सृष्टि के होने, न होने के लिए पहली शर्त है आदमी का आदमी बने रहना। पर आज मानव मूल्यों में लगातार गिरावट आ रही है। जिसकी कसीली अनुभूति को हम अनुभव तो कर रहे हैं पर अभिव्यक्त नहीं। आगत अपनी विरासत में मिली संस्कृति के बल पर भविष्य को संवारता है। पर आज का भविष्य अतीत के गर्भ में पल रही अनियमितताऍ स्वार्थ, व भ्रष्टाचार को अब चार दीवारी में आबद्ध नहीं रखना चाहता है तथा संत्रास के इस काले आवरण को उतार कर फेंकना चाहता है । और आज का जागरूक नागरिक पारदर्शिता का पक्षधर बन गया है। प्रगति की पगड़ंडी पर हमारा सोच एक सा बनता जा रहा है हर मुकाम पर।

आज प्रजातंत्र के लिए संघर्षशील हैं कई देश। 'पर' से 'स्व' अच्छा लगता है। इसीलिए भ्रष्टाचार व स्वार्थ पर चोट पर चोट जारी है। तभी तो एक सामान्य आदमी की आवाज पर सारा देश एक हो गया। एक शक्तिशाली सरकार को घुटने टिकाकर शीर्षासन करा दिया एक अदने से व्यक्तित्व ने। तथा दिखा दिया कि हम ओर बर्दाश्त करने के पक्षधर नहीं हैं। परिवर्तन के आभास मात्र से गिड़गिड़ाती सरकार दहशजदा हो गई है और तिल तिल घिसटती सरकार की रेशा–रेशा हो रही प्रत्येक उम्मीद कि जनता किस रास्ते से कूर हो जाए भीतरी–बाहरी या दोनों ओर से। इसलिए नल के जल में अपनी स्थिरता तलाशने लगी है सरकार। प्रदूषण की धरा पर बसंत के सपने संजाने वाले अन्ना का आर्त्तनाद स्पन्दन, इस विनाशी हठ को परास्त करता हुआ पुनः पुनः नवांकुर व पल्लवित होता हुआ इस विषाक्त आबोहवा में भी लहरायेगा और विस्तृत होगा व्यष्टि से समष्टि के सार्थक भावों से।

इन्हीं इतिहास के पृष्ठों से भविष्य में झांकता नव वर्ष हमें आमंत्रित भी करता है। आओ नववर्ष में हम एक दूसरे को सहयोग करते हुए देश के उन्नयन और भ्रष्टाचार के उन्मूलन हेतु मानव श्रृंखला बनायें तथा सुदृढ़ता की लक्ष्मण रेखा खींचने के लिए संकल्पित हो जायें ताकि खुशी से नववर्ष के खुले गणतंत्र में खुली सांस ले सकें।

ऐसे नववर्ष व नवप्रभात का आकांक्षी मैं, इस अवसर पर स्नेहिल बन्धुत्व की कामना करता हूँ।

उत्तर आप राष्ट्रीयता तथा सामाजिकता को एक समझने की भूल कर रहे हैं। यही भूल भारत के अनेक विद्वान कर रहे हैं जो राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र के गहन अन्तर को नहीं समझते। अन्ना जी ने भी यही भूल की। राष्ट्र और समाज अथवा राजनीति शास्त्र तथा समाज शास्त्र कई मामलों में एक दूसरे के पूरक होते हुए भी कई मामलों में बिल्कुल भिन्न हैं। मानवता की चिन्ता न राजनीति का विषय है न राष्ट्रीय चिन्तन का। वह तो पूरी तरह समाज शास्त्र का विषय है। राष्ट्रवादी भावना या विचार मानवता के विस्तार मे बहुत मामूली ही प्रभाव डाल सकते हैं। दूसरी ओर भ्रष्टाचार का मुद्दा व्यवस्था आधारित होने से राजनीति शास्त्र का भी विषय है तथा राष्ट्रवाद से भी। अन्ना जी ने भ्रष्टाचार के विरूद्ध आंदोलन को सामाजिक आंदोलन का रूप देने की कोशिश की। उसके स्थान पर राज्य और समाज के बीच के अधिकारों की पुनर्व्याख्या मुद्दा बनता तो वह सामाजिक आंदोलन होता। छब्बीस जनवरी को अन्ना जी ने जो बात कही है वह पूरी तरह सामाजिक आंदोलन का रूप ग्रहण करेगी।

वर्तमान परिस्थितियों की आलोचना समाधान का आधार नहीं बन सकतीं क्योकि समाधान खोजने के लिये परिस्थितियों की समीक्षा करनी होगी। समीक्षा तथा आलोचना के बीच बहुत अन्तर होता है। लाइन तोड़कर धक्का देकर टिकट लाने में सफल होने वाला हमारा आदर्श हो या लाइन में धक्का खाकर भी खड़ा रहकर असफल संतुष्ट व्यक्ति अथवा धक्का देकर आगे बढ़ने वाले को झापड़ मारकर सरकारी कानूनों के जाल में फंसने वाला। चौथा कोई मार्ग समाज के पास है नहीं। आप मानवता की दुहाई देकर उसे किस दिशा में बढ़ने की सलाह दे रहे हैं यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने जब भी चर्चा में यह प्रश्न उठाया है तो तीनों प्रकार के विचारों के अपने अपने तर्क हैं। कोई निश्चित धारणा नहीं बनती कि मुझे इन तीनों में से किस स्थिति में बढ़ना चाहिये। अभी अन्ना जी ने प्रसंग वश भ्रष्टाचारियों को अन्तिम स्थिति में झापड़ मारने तक की बात कह दी। दूसरों को धक्का देकर ही आगे बढ़ने के प्रयास में लगे सभी नेताओं ने एक स्वर से इस कथन की निन्दा की। ऐसी स्थिति में निर्णय करने में बहुत कठिनाई आ रही है। यदि आप चुपचाप खड़े रहें तो मूर्ख हैं क्योंकि दूसरे लोग आपको धक्का देकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी ओर आप दूसरों का अनुकरण करते हुए धक्का देकर आगे जाने में संलग्न हैं तो आप अमानवीय माने जायेंगे क्योंकि वह समाज के आदर्शों के विपरीत है। यदि कहीं आप न किसी को धक्का दे रहे हैं न ही धक्का खा रहे हैं बल्कि कानून तोड़ने वालों से टकरा रहे हैं तो आप कानून तोड़ने के दोषी हैं और राष्ट्र विरोधी कार्य में संलग्न माने जायेंगे। क्या करें यह समझ में नहीं आता।

आपने नये वर्ष के संदेश के रूप में कुछ अपेक्षाएँ की हैं। मैं चाहता हूँ कि नये वर्ष में हम आप सरीखे सब लोग मिलकर इन तीन परिस्थितियों का चौथा विकल्प खोजने में लगें तो नये वर्ष का कुछ सार्थक उपयोग संभव है। आपने मानव श्रृंखला बनाने का सुझाव दिया है। ऐसी मानव श्रृंखला में किस प्रकार के लोग शामिल हों? तीन प्रकार के लोग हैं ;1द्ध धक्का खाकर खड़े रहने वाले ;2द्ध धक्का देकर आगे बढ़ने वाले ;3द्ध धक्का देने वालों से टकराकर कानूनी संकट झेलने वाले। हमारी मानव श्रृंखला किस प्रकार के लोगों के विरूद्ध होगी। जो लोग हमारी श्रृंखला के उद्देश्यों के विरूद्ध काम करेंगे उनके विरूद्ध हमारी क्या पहल होगी। ऐसे प्रश्नों पर विचार करने के बाद ही कोई पहल संभव है।

3. आरती चकवर्ती, पंचसायर, कलकत्ता, बंगाल

प्रश्न 'ज्ञानतत्व' का अंक 235 प्राप्त हुआ। साभार!

नागरिकों का अस्तित्व उनका अधिकार और राष्ट्र के हर पर्याय में प्रतिष्ठित लोगों की भूमिका आदि पर आपका विलक्षण विश्लेषण मन को आलोड़ित करता है। मन में संशय जितना है साहस उतना नहीं है। एक और साल गुजरने वाला है लेकिन हम आगे बढ पाए क्या? वरन जहॉ हमारा अवस्थान रहा था, वहॉ से भी पीछे हटने लगे हैं।

आप कहते हैं संविधान में संशोधन होना चाहिए। लेकिन संशोधित करेगा कौन? भारत के नागरिक विचारक या सांसद? एक एक मंथन चिन्तन के अनुसार हम सिद्धान्त बनाते हैं। पर एक भी कार्यान्वित नहीं हो पाता। लोग कहते हैं संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष तो जारी है सिर्फ हमारे मन में, हमारे बनाए हुए सिद्धान्तों में। वास्तविकता यही है कि हम संकल्प नहीं ले पाते क्योंकि हमारे सामने के रास्ते में रूकावट है। अवरोधन के पत्थर को कौन हटायेगा किस तरह? कोई ईमानदार नेता समाज के रूढ़िवाद के खिलाफ चलकर, सत्तालोलुप प्रवृत्ति को सर्वथा विसर्जित करके प्रवंचित जनता का साथ देना चाहे तभी तो हठधर्मिता की नीति धीरे–धीरे शिथिल हो सकेगी। आशा है सारे अवरोधन एक न एक दिन अवसारित हो जायेंगे। आपकी निरंतर चेष्टा से लगता है कि उम्मीद बरकरार रखनी चाहिए। आप भी राजनीतिक जटिलता को स्वच्छ, प्रांजल रूप से समझाते जाइए। दिसम्बर की वह तारीख याद है जब आपने अपनी आगे की कर्मसूची को परिवर्तित चेहरा दिया था। शायद वह तारीख दिसम्बर को 25 ही रही होगी। आपको जन्मदिन का मुबारकवाद।

उत्तर परिवर्तन के लिये चार प्रकार की स्थितियॉ संभावित हैं ;1द्ध जयप्रकाश आंदोलन सरीखा कोई मार्ग जिसमें संसद में जाकर संविधान संशोधन की पहल की जाय ;2द्ध अन्ना जी सरीखा कोई आंदोलन जिसमें वर्तमान संसद ही डरकर कुछ झुककर बीच का मार्ग निकाल ले ;3द्ध टयूनीशिया या मिश्र सरीखी अहिंसक जन क्रान्ति ;4द्ध लीबिया सरीखी हिंसक क्रान्ति। चार के अतिरिक्त कोई पाचवां मार्ग अभी तो नहीं दिखता। लोक और तंत्र के बीच अधिकारों की कोई न कोई ऐसी सीमा रेखा तो बनानी ही होगी जो तंत्र के हस्तक्षेप से बाहर हो। सीमा रेखा क्या हो इस पर तंत्र कोई सहमति बनने ही नहीं देगा। ज्योंही समाज में ऐसी कोई बात उठेगी त्योंही तंत्र के एजेन्ट उसे अव्यावहारिक घोषित करके उसकी हवा निकाल कर रख देंगे। हमने देखा है कि राइट टू रिकाल की गंभीर आवाज उठते ही हमारे अनेक सरकार निर्मित बुद्धिजीवियों में उसे अव्यावहारिक कहने की होड़ मच गई कि इस विचार पर आगे बहस भी शुरू नहीं हो पाई। पूर्व चुनाव आयुक्त तथा कुछ संविधान विदों तक को इस विचार के विरूद्ध मैदान में कूदना पड़ा। इसलिये जेपी सरीखे आंदोलन से अब समाधान की संभावना कम दिखती है। अन्ना जी के आंदोलन को तंत्र दो भागों में बंटकर दिग्भ्रमित करने में सफल हो गया। मिश्र टयूनीशिया जैसा आंदोलन न तो योजना बद्ध होता है न ही उसके लिये कोई प्रयत्न होता है। वैसा आंदोलन एकाएक स्वस्फूर्त होता है। लीबिया जैसा आंदोलन तब तक न संभव है न उचित जब तक तानाशाही न हो। यदि लोकतंत्र है तो ऐसे आंदोलन का कोई औचित्य नहीं। या तो लोकतंत्र तानाशाही के समान हो जाय या वास्तव मे तानाशाही हो जाय तभी लीबिया सरीखा वातावरण बन सकता है।

फिर भी वर्तमान साठ वषों में लोक और तंत्र के बीच के आपसी संबंध जिस तरह तंत्र के पक्ष में झुकाये जा रहे हैं उसका कोई न कोई तो हल निकालना ही होगा। चार में से क्या उचित है क्या संभव है यह मैं कहने की स्थिति में नहीं। मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि सक्रियता और प्रतीक्षा का संतुलन बनाये रखिये। कोई न कोई मार्ग अवश्य निकलेगा। मन में न संशय की आवश्यकता है न साहस की। संशय आपको निराश करेगा और साहस समय पूर्व थका देगा।

एक वर्ष बीत गया। आत्मनिरीक्षण का अवसर है। हम आप जैसे हजारों लोगों ने जो बौद्धिक जागरूकता पिछले अनेक वर्षों में तैयार की थी उसी का परिणाम था अन्ना जी का आंदोलन। यह आंदोलन न कोई एकाएक हुआ न ही भावनात्मक उबाल ही था। हमने लम्बे समय से समाज में भूख पैदा की है जिसका एक दृष्य अन्ना आंदोलन में दिखा। आंदोलन ने सम्पूर्ण तंत्र को अन्दर तक हिलाकर रख दिया था। जिस समय लालू यादव, मुलायम सिंह, शरद यादव आदि संसद में बोल रहे थे वह उनका कोई नाटक न होकर अन्तरात्मा की आवाज थी। उन्हें वास्तव में डर हो गया था कि कहीं वास्तव में ऐसा न हो जावे। अन्ना जी के आंदोलन से पूरी संसद चिन्तित थी। दुर्भाग्य स अन्ना जी भारतीय जनता पार्टी की चाल में फंस गये और अन्ना जी द्वारा नेताओ के समक्ष पैदा किया गया संकट टल गया अन्यथा सोनिया तक की चाल अन्ना जी काटने में सफल हो गये थे। फिर भी निराशा का कोई कारण नहीं। समाज एक दो कदम आगे ही बढ़ा है, पीछे नहीं। या तो अन्ना जी कोई नई पहल करेंगे अथवा कोई अन्य अन्ना जयप्रकाश खड़ा होगा। लीबिया बनने की नौबत नहीं आयेगी इतना विश्वास रखिये।

अब तो लोक संसद के लिये कोई आंदोलन उठे यही मार्ग दिखता है। पहले सब लोग लोक संसद के विचार को सामने लायें तब समाज तो बेचारा तैयार है ही। आप बिस्तर पर होते हुए भी जितनी चिन्ता करती हैं, जितनी सकिय हैं वह पर्याप्त है। शेष काम विश्वास पूर्वक समाज पर छोड़ दीजिये। जो होगा अच्छा ही होगा।

4. श्री रघुवीर सिंह, सागर, मध्यप्रदेश

प्रश्न आप जिस व्यवस्था की बार बार चर्चा करते हैं क्या वह वर्ण व्यवस्था से भिन्न है? आप जैसा चाहते हैं वैसा होना क्या संभव है? व्यक्ति तीन प्रकार के हैं ;1द्ध अच्छे विचार वाले ;2द्ध बुरे विचार वाले ;3द्ध मिश्रित विचार वाले। तीनों में तालमेल कैसे संभव है?

उत्तर वर्ण व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था है। उसका राज्य व्यवस्था से कोई संबंध नहीं। मैं जिस व्यवस्था की बात करता हूँ वह राजनैतिक व्यवस्था की बात है। अतः वर्ण व्यवस्था को इस चर्चा से मत जोड़िये।

मैं सिर्फ तीन काम कर रहा हूँ ;1द्ध मानसिक व्यायाम को प्रोत्साहन ;2द्ध ग्राम सभा सशक्तिकरण के माध्यम से नई समाज रचना मं सहभागिता ;3द्ध लोक संसद आंदोलन द्वारा लोकतंत्र को लोक स्वराज्य की दिशा देने का प्रयत्न।

मुझे विश्वास है कि वर्तमान सभी समस्याओं के समाधान का यही एकमात्र संभव मार्ग है। यदि इसके अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग दिखे तो बताइये। मैं भी चलने की कोशिश करूगा। न दिखे तो इन मार्गों पर अपनी क्षमता अनुसार बढ़ना शुरू कर दीजिये।

मैं भी तीन ही प्रकार के व्यक्ति मानता हूँ। सामाजिक, असामाजिक, समाज विरोधी। समाजविरोधियों से सामाजिक लोगों का टकराव हमेशा चलता रहता है। इसे ही देवासुर संग्राम कहते रहे हं। जब समाजविरोधी तत्व कमजोर हों तब असामाजिक लोगों से दूरी बनाकर उन्हें अनुशासित करने का प्रयास करना चाहिये। किन्तु जब समाज विरोधी तत्व मजबूत हों तो असामाजिक लोगों से दूरी हटाकर मेल जोल बढ़ाना चाहिये। समाज विरोधी तत्व हमेशा चाहते हैं कि सामाजिक और असामाजिक लोग एक न हों। इसलिये वे सामाजिक लोगों को असामाजिक लोगों के विरूद्ध भड़काते रहते हैं। जुआ, शराब, गांजा, वेश्यावृत्ति, भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, शोषण, बालश्रम, जाति भेद आदि असामाजिक कार्य होते हैं, समाज विरोधी नहीं। चोरी डकैती लूट, बलात्कार, मिलावट, कमतौलना, बेइमानी, जालसाजी, धोखा, हिंसा, आतंकवाद आदि कार्य समाज विरोधी कार्य होते हैं। समाज विरोधी कार्य तीन नम्बर तथा असामाजिक दो नम्बर कहे जा सकते हैं। हमारे सभी सरकारी लोग चाहे ये नेता हों या अफसर या न्यायाधीश सभी इस बात को न समझ कर समाजविरोधी तत्वों के प्रचार से इतना प्रभावित हो जाते हैं कि वे दो नम्बर के कार्यों को ही रोकने में ज्यादा दिमाग लगाते हैं। इसका प्रत्यक्ष लाभ समाज विरोधी तत्व उठाते हैं। दुख तो तब होता है जब हमारे धर्मगुरू रामदेव जी आदि भी दिन रात दो नम्बर वालों को ही दुत्कारते रहते हैं। यहॉ तक कि अन्ना जी सरीखे लोग भी शराब और भ्रष्टाचार को ही लक्ष्य बनाने की भूल करते रहते हैं जबकि शराब और भ्रष्टाचार दो नम्बर के कार्य माने जाते हैं। हमारा आंदोलन तीन नम्बर के कार्यों के विरूद्ध होना चाहिये। सरकार चाहे किसी की हो वह सेना और पुलिस के आतंक के बल पर समाज को गुलाम बनाकर रखना चाहती है, यह आतंकवाद है। इसके विरूद्ध आंदोलन होना चाहिये न कि शराब, भ्रष्टाचार या काले धन के विरूद्ध। मेरी जो सोच है वह मैंने स्पष्ट कर दी है।

5.हरि ओम शर्मा हरि लखनउ उत्तर प्रदेश

आपके कुशल सम्पादकीय मे सकारात्मक पत्रकारिता के माध्यम से समाज के बौद्धिक , सामाजिक चारित्रिक तथा आध्यात्मिक गुणो के विकास के लिये उल्लेखनीय ही नही वरन सराहनीय प्रयास किये जा रहे हे। इस हेतु मेरी ओर से ढेर सारी बधाइयॉ स्वीकार करें । राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का मानना था कि सिद्धांत, श्रम, विवेक, चरित्र नैतिकता व त्याग 7 ऐसे जीवन मूल्य है जिनको अपने जीवन मे आत्मसात करके कोई भी व्यक्ति सारी मानव जाति के कल्याण के लिये कार्य करके अत्यन्त ही महान बन सकता है।

राष्टपिता महात्मागांधी जी के द्वारा बताये गये इन सात जीवन मूल्यो को मैने यदि किसी व्यक्ति को अपने जीवन मे पूर्ण रूप से आत्मसात करते हुए देखा है तो उस शख्सियत का नाम है डा0 जगदीश गांधी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड के अनुसार विश्व के सबसे बडे विधालय एवं युनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शान्ति शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित सिटी मोन्टेसरी स्कूल , लखनउ के संस्थापक –प्रबंधक डा0 जगदीश गांधी को आधुनिक युग का गांधी कहा जा सकता है। कुछ लोग इन्हे शिक्षा के गांधी के नाम से भी पुकारते है।

विश्व के 2.4 अरब बच्चो के साथ ही आगे जन्म लेने वाली पीढीयों के सुरक्षित भविष्य हेतु बच्चो के मस्तिष्क मे बचपन से ही विश्व मे एकता एवं शान्ति का अलख जगाने वाले डा0 गांधी ने बचपन से ही महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर अपने जीवन मे सिद्धान्त, श्रम, विवेक, चरित्र, नैतिकता, मानवीयता व त्याग के सिद्धान्तो को पुरी तरह से अपनाया।उन्होने लगातार प्रयत्न किया कि वे इन सात बुराइयों से सदा दूर रहें।

(1) सिद्धान्त विहीन राजनीति (2) श्रम विहीन सम्पत्ति (3) विवेक विहीन भोग विलास (4) चरित्र विहीन शिक्षा (5) नैतिकता विहीन व्यापार (6) मानवीयता विहीन विज्ञान तथा (7) त्याग विहीन पूजा । ये वे सात पाप है जिनको अपने जीवन म धारण करने वाला व्यक्ति न तो अपने जीवन मे सफल हो सकता है और न ही ऐसे व्यक्ति को कभी भी परिवार , समाज, देश तथा विश्व सम्मान के दृष्टि से देखता ही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का मानना था कि सिद्धान्त , श्रम, विवेक, चरित्र, नैतिकता, मानवीयता, व त्याग, 7 ऐसे जीवन मूल्य है और चुकि श्री जगदीश गांधी ने इन मानव मूल्यो को जीवन मे भी उतारा है तथा प्रचारित भी कर रहे है। अतः हमारा कर्तब्य है कि हम ऐसे महान पुरूष को प्रोत्साहित करे । आशा है कि आप ऐसे व्यक्तित्व को प्रकाशित करने की कृपा करेंगे।

उत्तर— मै श्री जगदीश गांधी के त्याग तथा प्रयत्नो से प्रभावित रहा हूँ । आपने उन्हे आज का गांधी कहा उससे मेरी सहमति है। मेरी तो इच्छा है कि वे गांधी को अपने प्रयत्नो की अंतिम सीमा मानने की भूल न करे। आज तो गांधी के कार्या से अनुभव लेकर आगे बढने की जरूरत है । आप मेरा सदेश जगदीश भाई तक पहुचाने की कृपा करियेगा।

6.श्री सत्यदेव गुप्त सत्य, रूदौली फैजाबाद यु पी

अरविन्द पुस्तकालय रूदौली मे आप का कथन था कि सरकार का एक कानून कि बिना हेल्मेट लगाये सडक पर मोटर सायकिल चलाना दंडनीय अपराध है, जनता के वैयक्तिक अधिकारो मे हस्तक्षेप है।

इस विषय पर लायंस क्लब के चेयरमैन माटीरतन सम्मान से सम्मानित महान सामाजिक कार्यकर्ता डा0 निहाल रजा की प्रतिक्रिया है कि आप इस विषय पर पुनः मनन करे। क्योकि सरकार का यह कानून सर्व समाज को सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कोई बालक प्लास्टिक के लाल खिलौने तथा जलतो हुई आग की लपटो मे खेलने मे कोई भेद नही करता है ऐसे मे अभिभावको द्वारा निषेध करना उचित ही नही आवश्यक भी है । अतः किसी को सडक पर उन्मुक्त एवं अनियंत्रित गति जिससे दूसरो की सुरक्षा भी वाधित होती हो, पर रोक लगाना उस व्यक्ति तथा सर्वजन के हितार्थ सर्वथा उचित है।

गत पच्चीस दिसम्बर की रात्रि साढे सात बजे बी बी सी लंदन के हिन्दी कार्यक्रम मे मा0 अटल बिहारी के जन्म दिन पर उनका एक इन्टरव्यु जिसे सन उन्नीस सौ इक्यासी मे बी बी सी लंदन द्वारा लिया गया था, प्रसारित किया गया। जिसमे अटल जी के विचारो जैसे हिन्दू राष्ट्र भारतीयता, हिन्दू धर्म आदि पर तथा साम्प्रदायिकता आदि महत्वपूर्ण विषयो पर अटल जी के उत्तर आपके विचारो के समीप लगते थे। शायद हमे यह कहना चाहिये कि आपके विचार अटल जी के विचारो से समर्थित लगे। परन्तु संघ के विषय मे आपके और अटल जी के विचारो मे उतनी हो विपरीतता दिखाई दी जितनी जय प्रकाश जी एवं आपमे। स्मरणीय है कि जय प्रकाश जी ने कहा था कि यदि संघ साम्प्रदायिक है तो सबसे बडा साम्प्रदायिक मै हूँ

मै यह नही कह रहा हूँ कि संध के विषय मे आपके विचार गुजरात से मथुरा तक रहे। आप चाहे तो आगे बढे । दिल्लो से पाकिस्तान तक पहुचे। आपकी इच्छा।

एक अन्य कम्युनिष्ट विद्वान जो सत्ताइस नवम्बर के कार्य क्रम मे नही आ सके थे, का कथन है कि भारत बहुल वादी ही नही बहुसंस्कृतीय देश है । भारतीय संस्कृति जिसे लोग हिन्दु संस्कृति भी कहते है ऐसी कोई संस्कृति इस देश मे नही है। जिन विषयो से ज्ञान तत्व के उद्देश्यो को आघात पहुचे ऐसे अनावश्यक प्रसंगो से ज्ञान तत्व को बचाये रखने का निवेदन है।

उत्तर— आपके प्रश्नों से यह विश्वास होता है किआप सबने मेरी बाते ध्यान से सुनी तथा उन पर विचार मंथन की भी सक्रियता है। वास्तव मे यही मेरा उद्देश्य भी था।

डा0 निहाल रजा जी ने प्रश्न उठाया है । मेरे विचार मे व्यक्ति परिवार और समाज के अधिकार एक दूसरे पर आंशिक प्रभाव डालते हुए भी भिन्न भिन्न होते है। इसी तरह अपराध, गैर कानूनी तथा अनैतिक भी एक नही है। मूल अधिकार संवैधानिक अधिकार तथा सामाजिक अधिकार भी पृथक पृथक होते है। इसी क्रम मे हमे दायित्व तथा कर्तब्य का भी फर्क समझना पडेगा।

एक व्यक्ति हेल्मेट न पहनकर स्वयं को खतरे मे डालता है न कि किसी अन्य को। एक्सीडेन्ट हाने पर उसका परिवार प्रभावित होता है न कि समाज। यदि समाज पर प्रभाव भी पडता है तो वह आंशिक ही है जबकि किसी दूसरे को मारना किसी अन्य व्यक्ति के मूल अधिकारो पर आक्रमण है, किसी अन्य परिवार की सीमाओ का अतिक्रमण भी है, तथा सामाजिक अपराध भी है। निश्चित रूप से किसी अन्य के अधिकारों का उल्लंधन अपराध है तथा अपने स्वयं के प्रति की गई गलती भूल है। अपराधो को रोकना सरकार का दायित्व है जबकि भूलो को रोकना सरकार का दायित्व न होकर कर्तब्य तक सीमित है। दायित्व तथा कर्तब्य के बीच सरकार को प्राथमिकताएँ भी तय करनी पडती है। यदि सरकार दायित्व पूरे करने मे सफल है तो वह कर्तब्यों की दिशा मे भो सक्रिय हो सकती है किन्तु यदि वह अपने दायित्व ही ठीक से नही सम्हाल पा रही तो कर्तब्यो की ओर लपकना सरकार का गलत कदम है। अपराधी तत्व हमेशा प्रयत्न करते है कि सरकार दायित्वो से ध्यान हटाकर कर्तब्य की दिशा मे लगातार बढे । इससे अपराधियों को अपराध करने मे सुविधा होती है।

वर्तमान समय मे संपूर्ण भारत की राजनैतिक व्यवस्था अपने दायित्व तो पूरे कर नही पा रही और कर्तब्य की दिशा मे तेज गति से चलना चाहती है। चोरी डकैती लूट बलात्कार मिलावट कमतौल जालसाजी हिंसा आतंक जैसे अपराध बढ रहे है और सरकार भूख बेरोजगारी वैश्यावृत्ति, अशिक्षा, शोषण आदि को दूर करने के कर्तब्यो के पीछे तेजी से भाग रही है।हेल्मेट पहनना भी ऐसा ही कार्य है। ऐसा करने से सरकार को दुहरा लाभ होता है। सरकार को अपराधियो का भी समर्थन मिलता है तथा समाज मे भी प्रशंसा मिलती है। सरकार मे नासमझ लोगो का वर्चस्व तो स्वतंत्रता के बाद शुरू से ही था किन्तु अब तो अपराधियो का भी बडी मात्रा मे प्रवेश हो चुका है। यही कारण है कि दायित्व से मुंह चुराकर कर्तब्यो को आगे लाने की जी तोड कोशिश हो रही है । हम आप तथा डा0 रजा सरीखे विचारको का दायित्व है कि वे वैचारिक स्तर पर इस चक्रव्यूह को तोडे।

सरकार हमारी अभिभावक तथा समाज नावालिग है यह धारणा ही गलत है। सरकार हमारी मैनेजर तथा समाज मालिक । सरकार के हर आदेश का पालन करना हमारी मजबूरी हो सकती है किन्तु कर्तब्य नही। सरकार के हर आदेश की समीक्षा का पूरा पूरा अधिकार हमारे पास सुरक्षित है। यदि सरकार की नीतियो के साथ साथ नीयत भी खराब हो तो ऐसी समीक्षा हमारी प्राथमिकता हो जाती है। वर्तमान राजनेताओं की नीयत खराब प्रमाणित है ऐसी स्थिति मे समीक्षा करना हम आप सबका दायित्व है।

संघ ने स्वतंत्रता के पूर्व जो नीतियां बनाई उसका मै भी प्रशंसक रहा हूँ । उस समय संघ राजनीति से दूर रहकर सामाजिक जागरण तक सीमित था। स्वतंत्रता के बाद संघ ने जनसंघ या भाजपा के नाम से सीधे राजनीति मे प्रवेश किया। स्वतंत्रता के बाद अटल जी ने गुण दोष के आधार पर संघ की समीक्षा की है न कि प्रशंसा या आलोचना ।अटल जी स्वय के भी राजनीति मे थे इसलिये समीक्षा तक ही सीमित रहना उनकी मजबूरी थी। जयप्रकाश जी ने जिस समय संघ की प्रशंसा की वह देश काल परिस्थति के अनुसार ठीक थी। आज भी वैसी स्थिति मे निर्णय करना ही होता है। मै भी मानता हूँ कि आज तक संघ मे उच्च चरित्रवान त्यागी तपस्वी लोगो का आधिक्य है। मै इस तरह संघ की प्रशंसा के साथ साथ सतर्क करना भी अपना कर्तब्य समझता हूँ । मुझे इतना आत्म विश्वास है कि हम वैचारिक धरातल पर चलकर इस्लाम को नियंत्रित कर सकते हैं तो मै इस्लामिक मार्ग पर चलकर इस्लाम पर अंकुश की बात क्यो सोचू? संघ के लोग इस्लाम के बताये मार्ग पर चलकर आगरा से पाकिस्तान पहुँचने का प्रयत्न कर रहे है। जबकि मै हिन्दुत्व के मार्ग पर चलकर आगरा से पाकिस्तान पहुचने का पक्षधर हूँ। इस्लाम का मार्ग संगठन का मार्ग है हिंसा और बल प्रयोग से ओत प्रोत है । जबकि हिन्दुत्व का मार्ग विचार मंथन है, सामाजिक दबाव का मार्ग हैं । अस्सी वर्षो मे संघ के प्रयत्नो से हम भविष्य मे कितना बढ पायेगे यह आपने देख लिया किन्तु कुछ ही वर्षो के वैचारिक प्रयत्नो से आज सारी दुनिया मे इस्लामिक सोच अलग थलग पडती जा रही है, यह स्पष्ट है । मै तो इस्लाम की विचारधारा को ठीक करने मे विश्व विरादरी के प्रयत्नो के प्रति सहायक हूँ। संध अनावश्यक ऐसे प्रयत्नो से अलग अपनी मुर्गी की तीन टांग बतावे तो यह उसकी स्वतंत्रता हैं । यदि संघ राजनैतिक सत्ता का मोह नही छोड सकता तो मै भी ऐसी मोह क प्रति संघ साथियो को सावधान करने के प्रयत्न छोडने को तैयार नही ।

विचार मंथन ज्ञान तत्व का उद्देश्य है, विचार प्रसार नहीं। मेरे विचार के विपरीत सोचने वाले ज्ञानतत्व के लिये ज्यादा उपयोगी है। अनावश्यक प्रसंग ही तो विचार मंथन का आधार होते है। इसलिये मेरा निवेदन है कि अनावश्यक प्रसंगो पर विचार मंथन मे आपका सहयोग चाहिये। जिन्हे ज्ञानतत्व से एलर्जी है वैसे लोगो तक तो ज्ञान तत्व अवश्य ही जाना चाहिये जिससे हर पंद्रह दिन मे उन्हे अपनी आख बंद करने का व्यायाम करने की मजबूरी हो। आप ऐसे लोगो की सूची भेंजे तो मै उन सबको और अपने साथ जोड लूंगा।

7.श्री सुंधाशु रंजन , दैनिक अम्बिकावाणी, अम्बिकापुर, छत्तीसगढ

काले धन की बाढ मे चुनाव डूबते जा रहे है । भ्रष्टाचार तब तक खतम नही हो सकता है जबतक चुनावो की गडबडिया खतम नही होती। 1952 का चुनाव स्वतंत्र था और निष्पक्ष था। 1977 का चुनाव भी लगभग वैसा ही था। शेषन के प्रयत्नो से चुनावो मे बाहुबलियो का वर्चस्व तो घटा किन्तु धन का वर्चस्व नही घटा । चुनावो मे धन बल का वर्चस्व समाप्त करना कठिन कार्य नहीं। जिस तरह हिंसा को रोकने के लिये कठोर कानून बनाये गये उसी तरह धन के वर्चस्व को समाप्त करने के लिये भी कठोर कानून बनना चाहिये।

उत्तर— बाहुबल और धन बल को एक ही तराजू पर नही तौल सकते है। बाहुबल एक अपराध है और धन बल अनैतिक कार्य। बाहुबल के सहारे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारो का हनन किसी भी स्थिति मे स्वीकार नही किन्तु धन क आधार पर किसी समझौते के अंर्तगत मौलिक अधिकारो का हनन या तो अनैतिक है या शोषण किन्तु अपराध नही। किसी व्यक्ति को किडनी या खून की जरूरत है और मुझे धन की जरूरत है । यदि हम दोनो किसी सहमति के आधार पर समझौता कर ले तो यह तब तक अपराध नही जब तक सामाजिक सीमा का उल्लंघन न किया जाय। मैने आज ही अखबारो मे पढा है कि छत्तीसगढ सरकार दाल भात मे मूसलचंद बनकर ऐसे किडनी प्रत्यर्पण पर भी कई कई महिने जांच मे लगा देती है। मरीज अस्पताल मे जीवन मृत्यु के बीच झूल रहा है और कानून मानवता के नाम पर जांच कर रहा है कि किडनी दाता परिवार का है या नही, प्रदेश का है या नही आदि आदि।

ए टू जेड चैनल पर प्रत्येक शनिवार को शाम साढे आठ बजे मेरी एक वार्ता प्रसारित होती है। एक दिन चैनल वाले ऐंकर ने मुझसे पूछा कि चुनावो मे पैसा या शराब लेना कितना बडा अपराध है। मैने कहा कि कोई अपराध नही है। मैने प्रश्नो के उत्तर के बीच कहा कि यदि कोई विश्वसनीय दल या विश्वसनीय व्यक्ति मिले तो बिना शराब और पैसे के वोट देना चाहिये। यदि ऐसा न मिले और कोई ऐसा अपना निकट का आदमी खडा हो जो बाद मे आपके व्यक्तिगत काम आ सके तब भी बिना पैसे वोट दे सकते है। किन्तु यदि वैसा भी कोइ नही तो या तो जो मिले वह लेकर वोट दे सकते हे और कोई कुछ न दे तो वोट देने नही भी जा सकते है। जब हमारे समक्ष मजबूरी है कि चुनाव मे खडे लोग सिर्फ व्यापारी है तो ऐसे व्यापारी को अपना सामान मुफत मे देना कहॉ की बुद्धिमानी है? जो तत्काल मिले वह ले लो क्योकि बाद मे तो उससे कुछ मिलना नही और वह व्यक्ति शुद्ध व्यापार के उद्देश्य से ही राजनीति कर रहा है ऐसा आपको विश्वास है। ऐसा कार्य न किसी तरह अपराध हे न अनैतिक । मेरा तो यह मत है कि ऐसे राजनैतिक तिकडम बाजो या व्यापारियों को बिना कुछ लिये मुफत मे वोट दिलवाने की कोशिश ही अनैतिक होनी चाहियें जो लोग इस तरह उपदेश देते फिरते है ऐसे लोगो की सूक्ष्म जानकारी प्राप्त करे तो इनमे से अनेक सरकारी धन प्राप्त ऐजेन्ट मिल जायगे।

काले धन की चर्चा बहुत होती है। चुनावो मे काले धन का बहुत उपयोग होता है यह सच है । कोई व्यक्ति चुनावो मे बडी मात्रा मे धन का उपयोग क्यो करता है? उसका उद्देश्य समाज सेवा है, प्रतिष्ठा है अथवा पावर। मेरे विचार से धन और पावर एक दूसरे के पूरक है। धन से पावर और पावर से धन मिलता है यह आम लोगो को विश्वास हो गया है। इसलिये ही वे पावर के लिये धन और धन के लिये पावर इकठ्ठा करते रहते है। आप कहते है कि धन का उपयोग पावर प्राप्त करने से रोक दिया जाय। मेरा विश्वास इसके ठीक विपरीत हैं। यदि पावर का पावर घटा दिया जाय तो यह सारा चक्र अपने आप टूट जायगा। संसद और सांसद के पास इतनी ताकत ही क्यो रहे कि वह उसे प्राप्त करना अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बना ले। बडे बडे शासकीय अधिकारी या उद्योगपति तक सांसद और मंत्री बनने का जी तोड प्रयत्न करते रहते है। पावर को पावर फुल बनाना और उसके लिये होने वाली छीना झपटी को रोकने के प्रयत्न बेमतलब का काम है। संसद का पावर कम कर दीजिये । एक सीमा से ज्यादा पावर किसी इकाई के पास मत इकठ्ठा होने दिजिये। न काला धन बनेगा न उसका उपयोग होगा। न उसको रोकेने हेतु आपको निवेदन करना होगा। बडे बडे सन्यासी तक राजनीति क गुणा भाग मे घूमने लगे है। इन सबका एक ही समाधान है कि संसद के पावर को बांट कर लोक संसद बना दीजियें फिर भी पावर ज्यादा हो तो स्वतंत्र अर्थपालिका बना दीजिये। अधिकतम निजीकरण कर दीजिये। समाजवाद की वर्तमान अवधारणा को दफना दीजिये। ग्राम सभाओ को उनक अधिकार दे दिजिये। । काले धन का चुनाव मे उपयोग अपने आप घट जायगा।

निवेदन— वर्तमान मे ज्ञान तत्व की पाठक संख्या सात हजार के आस पास है । जिसे जल्द ही पंद्रह हजार करना है। हमारे प्रमुख सक्रिय कार्यकर्ताओ ने तो कुछ नये नाम भेजे परन्तु सामान्य पाठको ने प्रशंसा तो बहुत की किन्तु नये नाम नही भेंजें। हमारा निवेदन है कि हमारा हर पाठक दस बीस नये नाम अवश्य भेजे जिससे पाठको की संख्या बढ सके ।

नोट— प्रत्येक शनिवार की रात 8:30 बजे ए टू जेड टी0 वी0 पर बजरंग मुनि जी का किसी एक विषय पर इंटरव्यू प्रसारित होता है। ए टू जेड डिश एंटिना मे 579 नम्बर पर तथा विग रिलाइन्स टी0 बी0 मे 425 नम्बर चैनल पर आता है। आप इसे देखे तथा अपना विचार प्रकट करे।